Serial No. 3618, Circle: NA Book No. 4 Deed No. 12

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

बिहार BIHAR

AA 003753

Serial No. 3619

Govt. of Bihar

Sub Registry Office ,Piro

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 14/09/2017 by Chandan Kumar

A Stamp Duty of Rs. 6000/- and other Fees of Rs. 2520/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 12 in Book No. 4, Volume No. 1 on pages from 142 to 160 and has been preserved in total 19 pages in C.D. No. 1 / Year 2017

14/9/2017

Signature with Date

(Dhananjay Kumar Rao)

Registering Officer, Piro

GRN Number /2017

Token No: 3651 /2017

Sign.....................

14.9.17

न्यास—पत्र

Trust Deed

जय मोती वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट सुखरौली(भोजपुर)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 14/09/2017ई0 को जिला भोजपुर राज्य बिहार

चन्दन कुमार ट्रस्ट का दस्तावेज लिखा

दस्तावेज पढ़ कर समझ लिए

14/09/17

Token Number 3651 | Reg. Year 2017 | Serial Number | Deed Number

PresType	Name	Sig.
Trustee	Birendra Singh	बिरेन्द्र सिंह 14/09/2017
Presented By	Chandan Kumar	चन्दन कुमार 14/09/17
Trustee	Chandan Kumar	चन्दन कुमार 14/09/17
Trustee	Dharmendra Kumar	धर्मेन्द्र कुमार 14/09/17
Trustee	Manish Kumar	मनीष कुमार 14/09/17
Trustee	Nagendra Singh	नगेन्द्र सिंह 14/9/17
Trustee	Shobha Devi	शोभा देवी
Trustee	Sonu Kumar	सोनु कुमार

Photo | Thumb | Index | Middle | Ring | Little

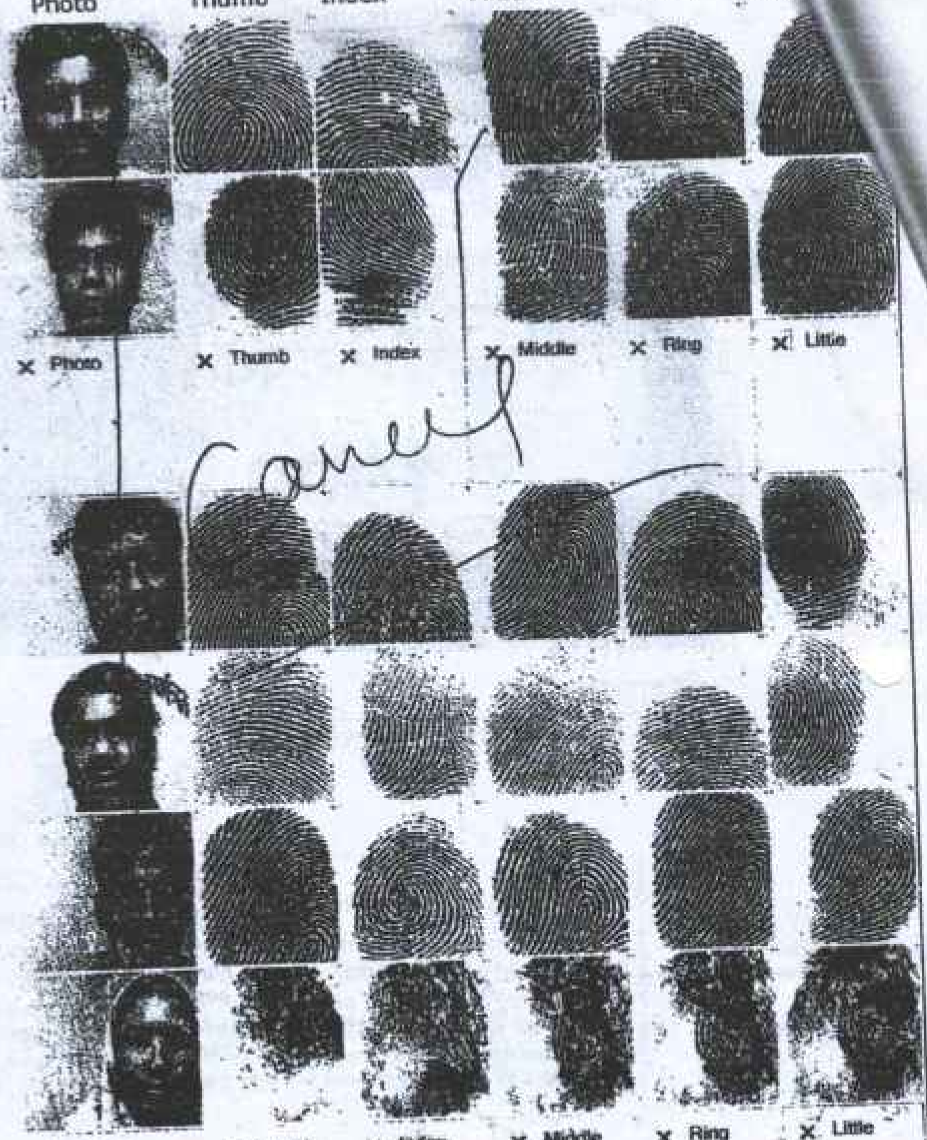

SCORE Ver.4.0 | Powered by IL&FS Technologies Ltd. | Biometric Captured By 2902sop015

चन्दन कुमार
14/09/17
9308157122

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

AA 003754

Treasury Officer

07 AUG 2017

BHOJPUR, ARRAH

2

श्री चन्दन कुमार पिता श्री जयकिसुन सिंह निवासी ग्राम–सुखरौली पो०–बरौली थाना–पीरो जिला भोजपुर के द्वारा घोषित किया गया।

जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योंकी संस्थापक के पास रुपया मो0– 51,000(एकावन हजार) रुपये की राशि है जिसे कि वह समाज में सुख शान्ती, सद्भाव एवम विश्वास एवं सामाजी कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रित सहरणीय न्यास(Irrevocable of trust) बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज एवं सामाजीक उत्थान एवं विशेष रुप से शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करेगा क्योकि यह जय मोती वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे कि आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जायेगा। वर्तमान समय में ट्रस्ट के पास मात्र मो0– 51,000(एकावन हजार) रुपये से अधिक की सम्पति चल या अचल किसी भी रुप में नही है।

क्योकि ट्रस्ट की न्यासकर्ता मैनेजींग होगा जिसे आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जायेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्त्रोतो से धन उपहार ऋण दान आदि भी सम्मिलीत है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं संपत्ति और बढ़ाये

चन्दन कुमार 14/09/17

धर्मेन्द्र कुमार 14.09.2017

14/09/2017

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

बिहार BIHAR

AA 003755

Treasury Officer

07 AUG 2017

BHOJPUR

3

ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यो मे प्रभावी रुप से सफल हो सके और न्यासकर्ता संस्थापक के अपनी इच्छा के अनुकुल मो0-51,000(एकावन हजार) रुपये की नगद राशि ट्रस्ट के पास कुल पूँजी मात्र मो0-51,000(एकावन हजार) रुपये है ।

वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजिकृत एवं प्रशासनीक कार्यालय ग्राम सुखरौली पो0-बरौली थाना पीरो जिला भोजपुर रहेगा। एवं प्रशासनीक कार्यालय अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार उचित स्थान पर स्थानान्तरीत किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/ ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यो के पुर्ती हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है।

---

1. न्यास का नामः- जय मोती वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट सुखरौली(भोजपुर)
2. न्यास का पंजीकृत कार्यालयः- ग्राम-सुखरौली
   पो0-बरौली थाना पीरो
   जिला-भोजपुर राज्य बिहार
3. न्यास का कार्यक्षेत्रः- सम्पूर्ण भारतवर्ष

चन्दन कुमार

14/09/17

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

बिहार BIHAR

AA 003756

Treasury Officer

07 AUG 2017

4

उपर्युक्त समस्त न्यासी, न्यास के उद्देश्यों की पुर्ती के लिये संस्थापक/न्यासकर्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते है। न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण रुप से समाज के उत्थान के लिये होगे। और उसके आय से बिना किसी पक्षपात के सर्व कल्याण प्रयोग कि जायेगी।

इसमें कोई भी ऐसी कार्य सम्मिलित नही होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रीत हो।

4. न्यास मे ट्रस्टी सदस्य की संख्याः- न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या कम से कम पाँच और अधिक से अधिक जितने ट्रस्टी सदस्य बना सकेंगे।

न्यास का गठन-

1. अध्यक्ष- चन्दन कुमार पिता श्री जयकिशुन सिंह निवासी ग्राम-सुखरौली
पो0-बरौली थाना-पीरो जिला भोजपुर
2. सचिव- श्री मनिष कुमार पिता श्री चन्द्रदेव प्रसाद निवासी ग्राम-शिवपुरी
पो0-अकिसाबाद थाना-गर्दनीबाग जिला पटना
3. कोषाध्यक्ष- श्री बिरेन्द्र सिंह पिता श्री धर्मराज सिंह निवासी ग्राम-खेलरीया
पो0-गोतपा थाना-विक्रमगंज जिला रोहतास
4. समाजसेवी सदस्य-सोनु कुमार पिता श्री उमेश राय निवासी ग्राम-भिखाचक
पो0-अकिसाबाद थाना-गर्दनीबाग जिला पटना

शोभा देवी 14/09/17

मनीष कुमार 14/09/17

चन्दन कुमार 14/09/17

बिरेन्द्र सिंह 14/09/2017

नरेन्द्र सिंह 14/9/17

...न्द्र कुमार 14.09.2017

5. समाजसेवी सदस्य- श्री नगेन्द्र सिंह पिता श्री रामनारायण सिंह निवासी ग्राम-बसेयाँ पे0-जमुआँव थाना-अगिआँव बाजार जिला भोजपुर

6. समाजसेवी सदस्य- श्रीमती शोभा देवी पति श्री संतोष कुमार निवासी ग्राम-सुखरौली पे0-बरौली थाना-पीरो जिला भोजपुर

7. समाजसेवी सदस्य- श्री धर्मेन्द्र कुमार पिता अवधेश सिंह निवासी पूर्वी भीखाचक पे0-अनिसाबाद थाना-गर्दनीबाग जिला पटना

उपर्युकक्त समस्त न्यासी न्यास के उद्देश्यो को पूर्ति के लिये संस्थापक/न्यासकर्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते है।

न्यास का लक्ष्य एवम उद्देश्य पूर्ण रुप से समाज के उत्थान के लिये होगा और उसके आय से बिना किसी पक्षपात के सर्व कल्याण प्रयोग कि जायेगी।

इसमें कोई भी ऐसी कार्य सम्मिलीत नही होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रीत हो।

जय मोती वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट सुखरौली(भोजपुर)

का ज्ञापन

1. न्यास का नामः- जय मोती वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट सुखरौली(भोजपुर)

2. न्यास का पंजीकृकत कार्यालयः- ग्राम-सुखरौली
पो0-बरौली थाना पीरो
जिला-भोजपुर राज्य बिहार

3. ट्रस्ट का ध्येय एवम उद्देश्य

1. बिना लिंग भेद सबके लिये प्रथमीक पाठशाला हाई स्कुल इन्टरमिडिएट कॉलेज महाविद्यालय मेडिकल एवम इन्जीनियरींग कालेज वाचनालयो प्रयोगशाला चिकित्सालयो वृद्वा आश्रम अनुसंधान केन्द्र छात्रावास कम्प्युटर केन्द्र सर्वेक्षण केन्द्र सामुदायिक विकास केन्द्र पर्यावरण एड्स उत्थान केन्द्र तथा अन्य ऐसे अन्य केन्द्र जो जनहित में स्थापित नामकरण विकास सम्बद्व आबद्व प्रबंधन/संचालन आदि कर सकता है।

2. भारतीय एवं विशेष संस्कृति से साझेदारी कर उसके संरक्षण आदि हेतू हर प्रकार का आवश्यक कार्य करना।

3. बालक एवम बालिकाओ के विकास एवं महिलाओं सशक्तिकरण हेतु हर प्रकार के आवश्यक कार्य करना।

4. समाज के शैक्षणिक स्तर बढ़ाने के लिये विभिन्न तरह के शिक्षण संस्थानो एवं प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना एवं संचालन करना।

5. जन जीवन के सामाजिक मानसीक नैतिक शारीरीक शैक्षिक एवं बौद्धिक विकास हेतु हर प्रकार का आवश्यक कार्य करना।

6. खाद्य प्रसंस्करण एवं फल संरक्षण हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना एवं संचालन करना।

7. सभी वर्ग के मेधावी कमजोर वर्गो के बच्चो के विकास हेतु पुस्तकीय सहायता छात्रवृति आदि सुविधाए उपलब्ध कराना प्रदर्शनियो का आयेाजन करना हस्तशिल्पीयो के लिये शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

8. जन साधारण के कल्याणकारक कौशल विकास केन्द्र कार्य में कल्याण हेतु एंव निराश्रीत महिला कल्याणकारी नारी निकेतन शिल्पकला केन्द्रो कम्प्युटर सिलाई कढ़ाई कताई बुनाई प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रो अनौपचारीक शिक्षा केन्द्रो तथा स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना।

9. कार्यक्षेत्र के अन्दर आम जनसाधारण की स्वास्थ्यहित में हर प्रकार का आवश्यक कार्य करना।

10. किसी भी प्रकार के आपदा से ग्रस्त क्षेत्रो मे जरुरतमंदो की हर प्रकार की आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना।

11. नशा उन्मुलन हेतु हर प्रकार का आवश्यक कार्य करना।

12. समाज के अंदर सांस्कृतिक उन्नयन हेतु विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन करना कार्य क्षेत्रों के अन्दर सामाजीक कुरीतियो को दुर करने का प्रयास करना जैसे दहेज प्रथा, छुआछुत।

13. श्रमिको एवम उनके बच्चो अनाथ बच्चो आदि के लिये हर प्रकार का आवश्यक कार्य करना

14. भू-संरक्षण को रोकना परती व उस पर विकास हेतु हर प्रकार का आवश्यक कार्य करना।

15. प्रदुषण से सुरक्षा हेतु हर प्रकार का आवश्यक कार्य करना।

16. पर्यावरण की सुरक्षा हेतु नगर गांव तथा कस्बों के पार्को में वृक्षारोपण करना तथा उनकी सुरक्षा हेतु जन जागरण अभियान चलाना।(वनो का संरक्षण)

17. समाज के विभीन्न धर्मो के लोगो मे आपसी भाईचारा सदभावना एकता बन्धुत्व की भावना का विकास करना।

18. समाज में व्याप्त मद्यपान दहेज प्रथा अंधविश्वास साक्षरता आदि कुरीतीयो के उन्मुलन हेतु जन जागरुकता पैदा करना।

नागेन्द्र सिंह 14/9/17
धर्मेन्द्र कुमार 14.09.2017

शोभा देवी 14/9/17
चन्दन कुमार 14/09/17
मनीष कुमार 14/09/17
बिरेन्द्र सिंह 14/09/2017
सोनु कुमार 14/09/17

19. ग्रामिण क्षेत्रो/शहरी क्षेत्रो मे विद्यालय छात्रावास पुस्तकालय वाचनालय व्यायामशाला डिग्री कालेज चिकित्सालय पशु चिकित्सालय तकनीकी शिक्षण विकलांग गृह कल्याण केन्द्रों अनाथालयो चिकित्सालयो और शिल्पकला केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना।

20. समय समय पर सांस्कृतीक कार्यक्रम विचार गोष्ठी सेमीनार सम्मेलन खेल कुद प्रतियोगिता आदि का आयोजन करना।

21. पशुओ के कल्याण हेतु स्वास्थ सेवाएं सचल चिकित्सालय एवं पशुओ की देखभाल के लिये पशुपालन गृहो का निर्माण संचालन एवं जनजागरुकता कार्यक्रम का आयोजन करना।

22. केन्द्र राज्यस्तर पर संचालीत विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओ का प्रचार प्रसार करना। उन योजनाओ से जोडना एवं धन प्राप्त करके ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरुप कार्य करना।

23.जैविक खाद के उपयोग पर प्रचार प्रसार तथा किसानो को इसकी उपयोगिता के बारे में सभी प्रकार के प्रशिक्षण देने से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाए संचालीत करना।

24. संस्कृत हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के(प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक) बालक बालिका विद्यालय विकलांग विद्यालय आवासीय विद्यालय कान्वेन्ट विद्यालय बाल श्रमिक विद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना

25. कार्यक्षेत्रो के अन्दर शिक्षा के उत्थान हेतु सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड यु0पी0 बोर्ड आदि के अंर्तगत बालक बालिकाओं के लिये हर स्तर एवं हर प्रकार की शिक्षण संस्थानो की स्थापना एवं संचालन करना।

26. सयुंक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक एवं अन्य अन्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थानो एवं दान दाताओ (व्यक्तीयो) से धन प्राप्त करना एवं संस्था के उद्देश्यो के अनुरुप कार्य करना।

27. कार्यक्षेत्रो के अर्न्तगत कम्प्युटर हार्डवेयर साफ्टवेयर इन्टरनेट साईबर कैफे सिलाई कढ़ाई बुनाई कताई तकनीकी कुटीर शिल्प कला हस्त शिल्प कला काश्ट कला कम्प्युटर टंकण आशुलिपी इलेक्ट्रीकल और इलेक्ट्रानिक पेन्टींग जरी कढ़ाई चिकन कढ़ाई कालीन बुनाई संगीत नाट्क वाद्यकला नृत्य मोटर ट्रेनिंग कालेज कृषि अनुसंधान केन्द्रो ब्युटीपार्लर फोटोग्राफि एवन फैशन डिजाईनींग एक्सरे टेक्नीशीयन मोबाईल रिपेयरींग मास कम्युनीकेशन साफ्टवेयर माडलींग आई0टी0 आई0 पालीटेक्नीक फार्मेसी वो मेडिकल कालेंजों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

28.कौशल विकास मिशन का प्रचार प्रसार करनस, सम्बंधित मंत्रालयो से मान्यता प्राप्त करना तथा जनसामान्य को प्रशिक्षित करना।

नरेन्द्र सिंह 14/9/17

14.09.2017

मनीष कुमार 14/09/17

कुमार /09/17

विरेन्द्र सिंह 14/09/2017

14/09/17

29. संस्था के विकास हेतु एल0एल0बी0, बी0एड0, एम0एड0 बी0टी0सी0 आदि प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना।

30. कम्प्युटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमो को क्रियान्वीत करने का प्रयास करना।

31. ट्रस्ट के कार्यक्षेत्र में ग्रामो में स्वालम्बन की भावना को जागृत करते हुए क्षेत्र का समग्र विकास करना।

32. निर्धन तथा असहाय छात्र/छात्राओ एवम कारीगरो के ग्राम उद्योग आदि शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिलाने के प्रबंध करके ग्रामोद्योग स्थापित करना।

33. समाजसेवा देशसेवा की भावना का विकास करना देशसेवा की भावना का विकास करना।

34. महिलाओ अल्पसंख्यको पिछड़ा वर्ग अनुसुचित जाति अनु0 जनजाति के लिये विद्यालय प्रशिक्षण केन्द्रो एवं विभिन्न प्रकार के तकनीकी केन्द्रो कर स्थापना करना एवं संचालन करना।

35. दिव्यागों की सहयोगार्थ हर प्रकार का कार्य करना उनके लिये विद्यालय आवास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना तथा जनमानस के दिव्यागों के सम्मान के लिये जन जागृति अभियान चलाना।

जय मोती वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट सुखरौली(भोजपुर)

की नियमावली

परीभाषाएँ

क– न्यास का नामः– जय मोती वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल
ट्रस्ट सुखरौली(भोजपुर)
ग्राम–सुखरौली
पो0–बरौली थाना पीरो
जिला–भोजपुर राज्य बिहार

ख– न्यास के ट्रस्टी :– संस्थापक/न्यासकर्ता मुख्य न्यासी होंगे।

ग– मुख्य कार्यकारी पदाधिकारीः– संस्थापक/न्यासकर्ता इस न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होगे।

घ– पदाधिकारी :– संस्थापक/न्यासकर्ता, ट्रस्टी न्यास के पदाधिकारी होंगे।

ड0– प्रबंध समितीः– पदाधिकारी सहित ट्रस्टी अन्य सदस्य प्रबंध समिति के सदस्य होगे।

च- वर्षः- 01 अप्रैल से 31 मार्च

छ- एक्टः- इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1882 के अर्न्तगत

2. सदस्यता

ट्रस्ट की सदस्यता लिये विहित आवेदन संस्थापक/न्यासकर्ता के पदनाम आवश्यक सदस्यता शुल्क के साथ जमा करना अनिर्वाय होगा। सदस्यता प्रदान करने के लिये संस्थापक/न्यासकर्ता को अनुमती/स्वीकृती अनिर्वाय रुप से प्रदान करना होगा।

सदस्यता पाँच प्रकार का होगा-

1. न्यासी सदस्य- संस्थापक/न्यासकर्ता, ट्रस्टी

2. साधारण सदस्य कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता शुल्क के रुप में एकमुश्त 1,000 रुपये जमा कर वे न्यास के साधारण सदस्य हो सकते है।

3. स्थाई सदस्य- कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता शुल्क के रुप मे 2,500 रुपये अदा कर वे न्यास के स्थायी सदस्य हो सकते है।

4. संस्थागत सदस्य- कोई भी संस्था जो न्यास के उद्देश्यो के लिये गठित की गई है वे 5,000 रुपये अदा कर न्यास के संस्थागत सदस्य बन सकते है।

5. संस्थापक सदस्य-जो सदस्य न्यास की स्थापना में सहायता किये हो और स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर अंकित हो वो संस्थापक सदस्य कहे जायेगें और सदस्यता शुल्क के रुप मे एकमुश्त 5,100 रुपये जमा करने होंगे।

3. सदस्यता की समाप्ती/ विमुक्ती

1. स्वयं त्यागपत्र देने पर
2. दिवालीया या पागल होने पर
3. न्यास के उद्देश्यो के विपरीत कार्य करने पर
4. न्यास के नियमों और विनयमो के उल्लंघन करने पर विपरीत आचरण करने पर।
5. प्रबंध समिति द्वारा अविस्वास प्रस्ताव पारीत करने पर संस्थापक द्वारा निष्कासित करने पर।
6. संस्थापक/न्यासकर्ता द्वारा निष्कासित करने पर

4. न्यास का प्रबंधनः-

न्यास का प्रबंधन संस्थापक सह मुख्य न्यासी द्वारा गठित प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें पदाधिकारी सहित चार सदस्य होगे। प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

शोभा देवी 14/9/17 मनीष कुमार 14/09/17 चन्दन कुमार 14/09/17 विरेन्द्र सिंह 14/09/2017 प्रमोद कुमार 14/09/17

विरेन्द्र सिंह 14/9/17

धर्मेन्द्र कुमार 14.09.2017

किन्तु आवश्यकता पड़ने पर या विशेष परिस्थीती उत्पन्न होने पर संस्थापक/न्यासकर्ता को यह अधिकारी होगा कि वे प्रबंध समिति को भंग कर नया प्रबंध समिति गठित कर लें। विशेष परिस्थीती में में प्रबंध समिती में किसी रिक्ती को भरने का अधिकार संस्थापक सह मुख्य न्यासी को होगा जो शेष अवधि के लिये मनोनीत किये जायेंगे।

5. मुख्य ट्रस्टी/ अध्यक्ष का अधिकार-

1. मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष का ट्रस्ट के सर्वोच्च पदाधिकारी के रुप मे कार्य करना।
2. ट्रस्ट के लिये धन जुटाना।
3. ट्रस्ट की सम्पतियों की देख रेख करना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यो की पुर्ती के लिये कार्य करना।
4. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सहमती से ट्रस्ट के कार्य विस्तार के लिये विभिन्न स्तर की नियुक्ती/विमुक्ती करना।
5. ट्रस्ट के बैठक की अध्यक्षता करना।
6. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सहमती से नये ट्रस्टी को ट्रस्ट का सदस्य बनाना।
7. ट्रस्ट के सभी सदस्य एवं पदाधिकारी यदि अध्यक्ष के किसी आदेश को ना मानकर एक राय से/बहुमत से किसी निर्णय को देंगे तो उसे मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष को मानना होगा। अस्तु वह निर्णय स्वतः लागु हो जायेगा।
8. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अनुमति से मुख्य ट्रस्टीज/अध्यक्ष धन को कही भी विनियोजीत कर सकता है। सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन सम्पति का विनियोजन कर सकता है।
9. संस्थापन/ न्यासकर्ता को अतिरिक्त न्यासी मनोनित करने का अधिकारी होगा। उनका कार्यकाल संस्थापन/न्यासकर्ता द्वारा तय किया जायेगा।
10. संस्थापन/ न्यासकर्ता को समय समय पर नियम बनाने परिवर्तन और संशोधन का अधिकार होगा। न्यासी के बैठक में कोरम न्यासी की उपस्थिती से होगा एवं सभी निर्णय संविधान के अंतर्गत लिये जायेंगे।
11. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अनुमती के मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी से ऋण बैंक ऋण दान अनुदान उपहार भेंट सम्मान पुरस्कार स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है। यह अधिकार अध्यक्ष को प्राप्त होगा। उक्त से प्राप्त धन वस्तु ट्रस्ट की होगी।

उपाध्यक्ष(वरिष्ठ) का अधिकार एवं कर्तव्य-

1. मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग करना।
2. मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुपस्थीती में उनके कार्यो एवं दायित्वो का संस्थापक ट्रस्टी मण्डल के निर्देश पर निर्वहन करना।

मनीष कुमार 14/09/17 ... कुमार 14/09/17 ... सिंह 14/09/2017 14/09/17

सचिव का अधिकार एवम कर्तव्यः-

1. ट्रस्ट के समस्त दस्तावेजो को सुरक्षित रखना।

2. मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के दिशानिर्देश पर ट्रस्ट की उद्देश्यो की पुर्ती के लिये आवश्यक कार्य करना, पत्र व्यवहार करना।

3. ट्रस्ट के आय-व्यय कार्यवाही आदि को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज व कार्यकारी मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करना वो लिपीबद्ध करना।

4. विभिन्न कार्य संचालन के लिये सम्बंधित पक्षों से मान्यता आदि के लिये कार्य करना, पत्र व्यवहार करना।

5. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज व कार्यकारी मण्डल के द्वारा सौंपे गये सभी कार्यो को पुरा करना।

उपसचिव का अधिकरी एवं कर्तव्यः-

1. सचिव की अनुपस्थिती में उनके कार्य एवं दायित्वों का संस्थापक ट्रस्टी मण्डल के निर्देश पर निर्वहन करना।

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः-

1. ट्रस्ट के आय-व्यय के लेखाजोखा रखना।

2. ट्रस्ट के बैंक से सम्बंधित कार्यो को सम्पादीत करना।

बैंक एकाउन्ट

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/पोस्ट आफिस में खोला जा सकेगा जिसका संचालन मुख्यट्रस्ट/अध्यक्ष, सचिव एवम कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के सयुंक्त हस्ताक्षर से किया जा सकेगा।

2. ट्रस्ट के माध्यम से संचालीत अन्य सस्थाओ जैसे विद्याल, प्रशिक्षण केन्द्र महाविद्यालय आई० टी०आई० आदि के लिये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज व कार्यकारी मण्डल को अनुमती से दुसरे बैंक खातो में संचालन सभी संस्थानो का संचालन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज/संस्थांपक ट्रस्टी मण्डल द्वारा चयनीत कार्यकारीणी मण्डल उसी संस्थान के लिये द्वारा किया जायेगा।

विधिक कार्यवाही

यदि सस्था/ ट्रस्ट की तरफ से कोई भी विधिक कार्यवाही की जाती है या उनके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज व कार्यकारी मण्डल की अनुमती से अधिवक्ता की नियुक्ती विभिन्न न्यायालयो में पैरवी हेतु अध्यक्ष की अनुमति पर सचिव करेंगे। आवश्यकतानुसार प्रबल पैरवी के लिये समय समय पर दुसरे अधिवक्ताओं की भी नियुक्ती अध्यक्ष की अनुमति पर सचिव करेगें। ये कार्य सचिव द्वारा संचालीत किये जायेंगे।

ओमा देवी 14/09/17 मनीष कुमार 14/09/17 चन्दन कुमार 14/09/17 विरेन्द्र सिंह 14/09/2017 सो.उ.प्र. 14/09/17

नरेन्द्र सिंह 14/9/17 धर्मेन्द्र कुमार

सम्पति सम्बंधी अधिकार

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पति के सम्बंध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरीक/व्यक्ती को प्राप्त होता है।

2. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अनुमती से मुख्यट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के चल/अचल संपति के सम्बंध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेन/लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु किसी व्यक्ती को अधिकृत कर सकता है या स्वंय संचालीत कर सकता है।

3. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अनुमती से मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष चल अचल संपति क्रय विक्रय कर सकता है या किराया पर दे सकता है या किसी चल अचल सम्पति को किराये पर ले सकता है।

4. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अनुमती के मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी से ऋण बैंक ऋण दान अनुदान उपहार भेंट सम्मान पुरस्कार स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है। यह अधिकार अध्यक्ष को प्राप्त होगा। उक्त से प्राप्त धन वस्तु ट्रस्ट की होगी।

5. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अनुमती से मुख्य ट्रस्टीज/अध्यक्ष धन को कही भी विनियोजीत कर सकता है। सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक संस्थ कम्पनी आदि की किसी योजना में धन सम्पति का विनियोजन कर सकता है।

6. ट्रस्ट आयकर अधिनियम की धारा 80 का पालन करता रहेगा।

7. वर्तमान समय में ट्रस्ट के पास कोई चल अचल सम्पति नही है। संचित निधी मु0 धनराशी मो0–51,000 (एकावन हजार) रुपये है।

विशेष

इस ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालीत /कार्यरत किसी भी विद्यालय महाविद्यालय आई0 टी0आई0 कार्यक्रम ईकाई कार्यालय संस्था पर उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम के उपनियम बनाये जा सकते है परन्तु यदि वह इस बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के जन कल्याण एवं समाज कल्याण के उद्देश्यो एवं नियमावली किसी भी प्रावधान का अतिक्रमण करता है तो वह नियम पर उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शुन्य होगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यदि उचीत समझे तो किसी/किन्ही परीस्थीतीयो मे इस ट्रस्टडीह के किसी /किन्ही प्राविधानो को शिथील कर सकते है। तथा प्राविधानो के इतर भी अन्य निर्णय ले सकते है। इस सम्बंध में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का विवेक व्यवस्था ही अन्तीम निर्णय होगा। इस धारा के अर्न्तगत बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज क्षीर की गयी किसी भी कार्यवाही को कही भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है। जन कल्याण एवं समाज कल्याण की उक्त न्यास विलेख एवं उसमे सन्निहीत जन ट्रस्ट के उद्देश्यो एवं नियतावली एतदद्वारा अधिनियम घोषित स्वीकृत आत्मर्पित एवं तत्काल से कार्यान्वीत की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियो की उपस्थीति में हस्ताक्षर किये गये।

सीमा देवी 14/9/17   मनीष कुमार 14/09/17   चन्दन कुमार 14/09/17   विरेन्द्र सिंह 14/09/2017   14/09/17

नरेन्द्र सिंह 14/9/17   धर्मेन्द्र कुमार 14.09.2017

6. न्यास के उद्देश्यों के पूर्ति हेतू न्यास के अधिकार निम्नलीखित होगे–

1. दान,चन्दा, बुदान , ऋण, सदस्यता, शुल्क, सहयोग राशि, धन, सम्पति, व्यक्ति विशेष, संस्थान, स्वैच्छिक संगठन, न्यास और सरकार से प्राप्त करना और जनहित में कार्यक्रम संचालित करना।

2. समय–समय पर न्यास के कोष–निधि का उपयोग न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना।

3. न्यास के सम्पति में वृद्धि करने का उपाय करना और न्यास के निधि का उपयोग शेयर, स्टॉक एवं अन्य जमा पूंजी में निवेश करना या राष्ट्रीय बैंक/डाकघर, बैंक में खाता खोलकर जमा करना।

4. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजीव गाँधी फाउन्डेशन बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक, नवार्ड, कपार्ड, विश्व बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन या संगठनों से दान, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।

7. ट्रस्ट के माध्यम से संचालीत अन्य संस्थाओ जैसे विद्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र महाविद्यालय आई0 टी0आई0 आदि के लिये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज व कार्यकारी मण्डल को अनुमती से दुसरे बैंक खातो मे संचालन सभी संस्थानो का संचालन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज/संस्थापक ट्रस्टी मण्डल द्वारा चयनीत कार्यकारीणी मण्डल उसी संस्थान के लिये द्वारा किया जायेगा।

17. न्यास के सदस्यों की संख्या कम से कम 3 होगी और अधिक से अधिक 7 होगी।

7. प्रबंध समिति का निर्वाचन–

प्रबंध समिति का निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षो पर होगा। प्रबंध समिति का गठन निबंधन के पश्चात निर्वाचन के आधार पर होगा।

8. प्रबंध समिति का अधिकार:–

पाँच सदस्य संस्थापक सदस्य से निर्वाचीत किये जायेगे। शेष तीन सदस्य साधारण सदस्य, संस्थागत सदस्य और स्थायी सदस्यों में से निर्वाचीत किये जायेगे।

9. पदाधिकारी के अधिकार और कर्तव्य–

क. संस्थापक/न्यासर्ता

1. संस्थापक/न्यासकर्ता के सर्वोच्च पदाधिकारी सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होगे।

2. न्यास की ओर से सभी तरह का पत्राचार करना।

3 न्यास के कार्यों की समीक्षा करना।

4. न्यासी एवं प्रबंध समिति की बैठक के लिये सुचना देना।

5. न्यास के लिये अतिरीक्त संसाधन सृजित करना।

नरेन्द्र सिंह 14/9/17

धर्मेन्द्र कुमार 14.09.2017

संजीव कुमार 14/09/17

चन्दन कुमार

विरेन्द्र सिंह

संतोष कुमार

6. आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक मत देना या विवादग्रस्त परिस्थीतीयो में संस्थापन/न्यासकर्ता का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। उनके निर्णय को कोई चुनौती नही दी जायेगी।

7. न्यास के सभी कार्य उनके प्रशासनीक निर्णय के अर्न्तगत ही किया जायेगा।

8. संस्थापन/न्यासकर्ता जब चाहे प्रबंध समिति के सदस्य की सदस्यता को रद्द करने का अधिकारी होगा और उनका निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

9. संस्थापन/ न्यासकर्ता को यह अधिकार होगा कि वे जब चाहे न्यास का विघटन कर सकते है।

10. न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की हैसियत से न्यास के दैनिक प्रशासन से संबधित सभी लेखा पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिये सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे तथा सभी मामलो में एक सर्वत्र अधिकार के अधीन रह कर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे।

11. न्यास के सभी अभिलेखो को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।

12. न्यास की सभी बैठको का आयोजन करना तथा सचिव के परामर्श से बैठक के लिये एजेन्डा/ कार्यक्रम बनाना।

13. न्यास के समस्त आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण करना वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।

14. न्यास कि आर्थिक स्थीती सुधारने के लिये सुझाव देना एवं योजना समितियो के समक्ष उपस्थापित करना तथा न्यास के विकास हेतू देश विदेश में प्रतिनिधित्व करना।

15. बैठक में पारीत किये गये प्रस्तावो के अनुरुप कार्य सम्पादित करना/ अनुपालन करना।

16. न्यास के कार्यक्रमों कार्यो के सम्पादन हेतू अधिकारीयो कर्मचारीयों की नियुक्ती करना या कार्य मुक्त करना।

17. आवश्यक कार्य हेतू प्रबंध समिति की बिना पूर्व स्वीकृती के 10,000 रुपये तक खर्च करना।

18. राष्ट्रीय /राज्य/ जिला शाखा के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।

10. कोष का संचालन

ट्रस्ट का खाता किसी मान्यता प्राप्त बैंक में खोला जायेगा जिसका संचालन संस्थापक/न्यासकर्ता एवं किसी एक ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। जिसमें संस्थापक /न्यासकर्ता का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

11. प्रबंध समिति के निम्नलिखित अधिकार तथा कार्य होंगे–

क. न्यास के सभी चल अचल संपतियों की सुरक्षा एव सुचारु प्रबंध के लिये उतरदायी रहना।

ख. न्यास के उद्देश्यो की पुर्ती हेतू कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये आम सभा की स्वीकृति प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतू सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

ग. समान उद्देश्यों की ट्रस्ट स्वैछिक संगठन के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना संबद्धता प्राप्त करना तथा उसकरी पूर्ती हेतू सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

घ. जिला/ अनुमंडल/ प्रखण्ड/ पंचायत शाखा हेतू व्यय के लिये धन राशी का आंवटन करना।

ङ. प्रबंध समिति प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय न्यास के नियमानुसार करेगी।

च. सदस्यता के लिये प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

छ. किसी सदस्य जिनका चरीत्र उद्देश्यो को कुठाराघात पहुचाता हो उसे सदस्यता से वंचित करना/ विमुक्त करना।

ज. न्यास के उद्देश्यो की पूर्ति हेतू जो भी आवश्यक एवं हितकर हो उसे करेगी।

12. प्रबंध समिति की बैठक–

क. साधारण सभा के लिये कम से कम सात दिन असाधारण बैठक के लिये तीन दिन और आपातकालीन बैठक के लिये एक दिन पूर्व सुचना दिया जाना आवश्यक होगा।

ख. प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने में एक बार होगी।

ग. बैठक में कुल सदस्यों की एक तिहाई उपस्थिति को कोरम माना जाएगा।

घ. स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु प्रथम सूचना के बाहर के किसी विषय पर विचार नहीं हो सकेगा।

13. आम सभा–

प्रबंध समिति द्वारा निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर वार्षिक आम सभा प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी जिसकी पूर्व सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जाएगी। आम सभा के निम्नलिखित कार्य्य होंगे।

क. पिछली बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट करना।

ख. वार्षिक प्रतिवेदन का स्वीकृति प्रदान करना।

ग. न्यास के कार्यो की समीक्षा करना।

घ. अंकेक्षित की नियुक्ति करना।

ङ. आगामी वर्ष के लिए आय-व्यय का बजट तैयार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।

च. आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित निर्धारित करना।

छ. पूर्व सूचना प्राप्त किसी प्रस्ताव पर संस्थापक अध्यक्ष, ट्रस्टी सचिव की अनुमति से विचार करना।

नरेन्द्र सिंह 14/9/17

धर्मेन्द्र कुमार 14/09/2017

अनीष कुमार 14/09/17 चन्दन कुमार 14/09/17 विरेन्द्र सिंह 14/09/2017 सोउ उमा 14/09/17

14. असाधारण बैठक–
संस्थापक/ न्यायकर्ता के द्वारा तीन दिन पूर्व की सूचना पर निम्नांकित अवस्था में असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है।
क. आवश्यकतानुसार संस्थापन/न्यासकर्ता की सलाह पर।
ख. कुल सदस्यों की दो तिहाई सदस्यों के द्वारा बैठक की मांग किये जाने पर।
ग. सभा/बैठक का कार्यप्रणाली का नियम संस्थापन/न्यासकर्ता को कहीं भी चुनौती नहीं दी जायेगी।
घ. आम सभा के बैठक की सूचना 30 दिन पूर्व दी जायेगी।
ङ. प्रबंध समिति के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।
च. बैठक की सूचना निबंधित डाक, पंजी या विशेष दूत से दी जायेगी।

15. मतदान –
साधारण मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान हाथ उठाकर खुलेआम किया जायेगा। किसी असाधारण परिस्थिति में प्रबंध समिति की अनुमति लेकर संस्थापक/न्यासकर्ता द्वारा मतदान की भी व्यवस्था हो सकती है।

16. कार्यकाल–
पदाधिकारीयों एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा ताकि उन्हें पुनः निर्वाचित होने में कोई बाधा नहीं रहेगी।

17. रिक्त पदों की पूर्ति–
प्रबंध समिति में कोई भी पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाने पर रिक्त पद पर अवशिष्ट कार्यकाल के लिये संस्थान/_न्यासकर्ता किसी भी अन्य सदस्य का मनोयन कर सकता है।

18. आय का स्त्रोत–
न्यास के आय के निम्नलिखित श्रोत होंगे–
क. प्रवेश शुल्क
ख. सदस्यता शुल्क
ग. आजीवन सदस्यता शुल्क
घ. दान एवं चन्दा
ङ0. अनुदान
च. ऋण
छ. सम्बद्धता शुल्क एवं अन्य शुल्क,

नगेन्द्र सिंह 14/9/17

धर्मेन्द्र कुमार 14.09.2017

मनीष कुमार 14/09/17

चन्दन कुमार 14/09/17

विरेन्द्र/ 14/09/2017

14/9/17

14. असाधारण बैठक–

संस्थापक/ न्यायकर्ता के द्वारा तीन दिन पूर्व की सूचना पर निम्नांकित अवस्था में असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है।

क. आवश्यकतानुसार संस्थापन/न्यासकर्ता की सलाह पर।

ख. कुल सदस्यों की दो तिहाई सदस्यों के द्वारा बैठक की मांग किये जाने पर।

ग. सभा/बैठक का कार्यप्रणाली का नियम संस्थापन/न्यासकर्ता को कहीं भी चुनौती नहीं दी जायेगी।

घ. आम सभा के बैठक की सूचना 30 दिन पूर्व दी जायेगी।

ङ. प्रबंध समिति के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

च. बैठक की सूचना निबंधित डाक, पंजी या विशेष दूत से दी जायेगी।

15. मतदान –

साधारण मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान हाथ उठाकर खुलेआम किया जायेगा। किसी असाधारण परिस्थिति में प्रबंध समिति की अनुमति लेकर संस्थापक/न्यासकर्ता द्वारा मतदान की भी व्यवस्था हो सकती है।

16. कार्यकाल–

पदाधिकारीयों एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा ताकि उन्हें पुनः निर्वाचित होने में कोई बाधा नहीं रहेगी।

17. रिक्त पदों की पूर्ति–

प्रबंध समिति में कोई भी पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाने पर रिक्त पद पर अवशिष्ट कार्यकाल के लिये संस्थान/_न्यासकर्ता किसी भी अन्य सदस्य का मनोयन कर सकता है।

18. आय का स्त्रोत–

न्यास के आय के निम्नलिखित स्त्रोत होंगे–

क. प्रवेश शुल्क

ख. सदस्यता शुल्क

ग. आजीवन सदस्यता शुल्क

घ. दान एवं चन्दा

ड0. अनुदान

च. ऋण

छ. सम्बद्धता शुल्क एवं अन्य शुल्क।

नरेन्द्र सिंह 14/9/17

14/9/17

मनीष कुमार 14/09/17

चन्दन कुमार 14/09/17

विरेन्द्र सिंह 14/09/2017

ज. विघटीत सस्थान, संस्था एवं न्यास के कोष की प्राप्ती से प्राप्त कर ली जायेगी। अनबंधक जब चाहे न्यास का अंकेक्षण करा सकते है जिसका खर्च न्यास को वहन करना पड़ेगा।

19. कोरम–

आम सभा /प्रबंध समिति की बैठक का कोरम सदस्य न्यास के 2/3 भाग का होगा।

20. न्यास के स्मृति पत्र एवं नियमावली में संशोधन–

न्यास के स्मृति पत्र एवं नियमावली में समावेश एवं संशोधन मुख्य न्यासी द्वारा साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यो के समक्ष लिया जायेगा।

21. न्यास के पदाधिकारी एवम न्यासकर्ता आम बैठक में न्यास के लिये उपाध्यक्ष एवम उपसचिव तथा अन्य जरुरी पदाधिकारी का चुनाव कर लेंगें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह जे0 एम0 चन्दन वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट के स्मृति पत्र एवं नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है।

गवाह गण

अशोक कुमार सिंह
S/o श्री जयकिशन सिंह
ग्राम – खुरखौली
पो० – बखौली
थाना – पीरो
14.9.2017.

मुन्ना कुमार
S/o – श्री रविन्द्र कुमार चौधरी
ग्राम+पोस्ट – कल्कौला
थाना – जगदीशपुर
जिला – भोजपुर
14/09/2017

1. चन्दन कुमार 14/09/17
2. मनीष कुमार 14/09/17
3. विरेन्द्र सिंह 14/9/2017
4. सोनू ओझा
5. भोमा देवी
6. धर्मेन्द्र कुमार 14/09/17
7. नगेन्द्र सिंह 14/9/17

प्रारुपकर्ता का हस्ताक्षर
मो० शाहिद अख्तर उर्फ मन्नान खाँ दस्तावेज नविस
L-N- 76/03
ता०– 14/9/2017

Endorsement of Certificate of Admissibility

under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the ...mp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

...duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 6000/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 4000/-
...tamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 4520/-

Registration Fee

A1	1020	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0		
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0		
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0		
A10	0	E	1000	J1	0	K2	0	Na	0		
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0			TOTAL-	2020

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge: 500

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 2520

Registering Officer
Piro

...te: 14/09/2017

Endorsement under section 52

...esented for registration at Registration Office, Piro on Thursday, 14th September 2017 by Chandan Kumar ...kisun Singh by profession Others. Status - Trustee

चन्दन कुमार
14/09/17

Registering Officer
Piro

...gnature/L.T.I. of Presentant

Date:14/09/2017

Endorsement under section 58

...ecution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Ashok Kumar Singh' ...ge 39, Sex 'M', 'Jaikisun Singh', resident of 'Sukhrauli,piro,bhojpur'.), whose Names, Photographs, ...ngerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Piro

...ate : 14/09/2017

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

...egistered at Registration Office Piro in Book 4 Volume No. 1 on pages on 142 ..., for the year 2017 and stored ...CD volume No. CD-1 year 2017 .The document no. is printed on the Front Page ... document.

Registering Officer
Piro

...ate: 14/09/2017

...ken No. : 3651 Year : 2017 S.No. : 3619 SCORE Ver.4.1 Deed No . :d No . : 12

मेरे द्वारा क्रेता किया गया
हस्ताक्षर